



सेट-टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी

प्रिलमिस के लिये:

DVB CI+ 2.0 मानक, TRAI, इंटरऑपरेबिलिटी

मेन्स के लिये:

सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी

चर्चा में क्यों?

'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने सफ़िरशि की है कि देश में सभी 'सेट टॉप बॉक्स' (Set Top Boxes- STBs) इंटरऑपरेबल (Interoperable) होने चाहिये।

मुख्य बढि:

- सेट टॉप बॉक्स (Set Top Boxes- STBs) के इंटरऑपरेबल होने का अर्थ है- "उपभोक्ता वभिन्नि DTH (Direct-To-Home) तथा केबल टीवी प्रदाताओं में एक ही प्रकार के STBs का उपयोग कर सकेंगे।"
- TRAI ने यह भी सुझाव दिया है कि इंटरऑपरेबिलिटी को अनविर्य बनाने के लिये 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय' (Ministry of Information and Broadcasting- MoIB) लाइसेंस एवं पंजीकरण शर्तों में आवश्यक संशोधन कथि जाना चाहिये।

इंटरऑपरेबिलिटी की आवश्यकता:

- सेट टॉप बॉक्स के इंटरऑपरेबल न होने पर अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के लिये अलग-अलग STBs की आश्यकता होती है। ऐसे में यह ग्राहक को सेवा प्रदाता बदलने की स्वतंत्रता से वंचति करती है।
- यह तकनीकी नवाचार, सेवा की गुणवत्ता में सुधार और समग्र सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र के विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है।

DTH (Direct To Home)

- DTH 'डायरेक्ट टू होम' (Direct To Home) सेवा का संक्षिप्त नाम है। यह एक डिजिटल उपग्रह सेवा है जो देश में कहीं भी उपग्रह द्वारा प्रसारण के माध्यम से प्रत्यक्षतः ग्राहकों को टेलीविज़न पर कार्यक्रमों को देखने की सुवधि प्रदान करती है।
- इसके सगिनल डिजिटल प्रकृति के होते हैं और सीधे उपग्रह से प्राप्त होते हैं।

वर्तमान स्थिति:

- वर्तमान में केबल टीवी नेटवर्क के STBs नॉन-इंटरऑपरेबल हैं, जबकि DTH सेवाओं में लाइसेंस शर्तों की बाध्यता के कारण सामान्य इंटरफेस मॉड्यूल आधारति इंटरऑपरेबिलिटी की सुवधि होती है।
- हालाँकि वियवहार में DTH में भी STBs आसानी से इंटरऑपरेबल नहीं होते हैं।

समति का गठन:

- TRAI ने यह भी सफाई की है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा DTH और केबल टीवी सेवाओं में संशोधित STB मानकों के कार्यान्वयन के लिये एक समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिये।
- समिति 'भारतीय मानक ब्यूरो' (Bureau of Indian Standards- BIS) के टेलीविजन मानक; डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग कॉमन इंटरफेस प्लस (Digital Video Broadcasting Common Interface Plus 2.0- **DVB CI+ 2.0**) तथा 'यूरोपीयन दूरसंचार मानक संस्थान' (European Telecommunications Standards Institute- ETSI) के **TS: 103 605** मानकों की स्थापना करने तथा नरिंतर नगिरानी रखने का कार्य करेगी।

डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग कॉमन इंटरफेस (DVB CI):

- डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग (Digital Video Broadcasting- DVB) डिजिटल टेलीविजन के लिये अंतरराष्ट्रीय मानकों के एक सेट है। DVB मानक को DVB परियोजना के तहत लागू किया जाता है तथा यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान (ETSI) की एक 'संयुक्त तकनीकी समिति' द्वारा इन मानकों को प्रकाशित किया जाता है।

आगे की राह:

- DTH और MSO (Multi-System Operators) सेवा प्रदाताओं को ETSI मानकों के अनुरूप 'DVB CI + 2.0' मानकों को अपनाने के लिये छह महीने का समय दिया जाना चाहिये।
- MoIB को BIS के साथ मिलकर STBs के लिये नरिदष्ट मानकों में उपयुक्त संशोधन करना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernce URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/set-top-box-interoperability>